RAJYA SABHA

Thursday, the 11*th December,* 2003/20 *Agrahayana,* 1925 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Working group on minimum wages

*141. SHRI C. RAMACHANDRAIAH:
SHRI ABANI ROY:†

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Working Group on Minimum Wages (WGMW) has recommended minimum wage of Rs. 66/-per day to the labourer;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government have received complaints regarding non-payment of wages at Government prescribed rates from various quarters, and if so, what steps Government propose to take to ensure the payment of minimum wage of Rs. 66/-per day to the labourer?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Working Group was set up to go into the Codification of the Concept of Minimum Wages, listing out Guidelines based on Critical Evaluation of Various Parameters and also to Study the Problems in Implementation of Minimum Wages by Central Advisory Board constituted under Section 8 of the Minimum Wages Act. It has recommended the norms in terms of 3 Consumption units and per capita requirement of food, clothing, fuel, lighting and miscellaneous items including children's education, medical requirement etc. as determined

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Abani Roy.

by the results of quinquennial Consumer Expenditure Survey for Rural Areas conducted by National Sample Survey Organisation. The Working Group worked out afresh the national minimum wage at Rs. 66/-per day based on these norms to be applicable to unskilled labour in respect of each employment. No decision has been taken by the Government regarding acceptance of the report of the Working Group.

The Minimum Wages Act, 1948 provides for enforcement of minimum wages in scheduled employments. It is secured both at the Central and the State sphere. The Inspectors, who are appointed to ensure implementation of the Act, conduct regular inspections and whenever they come across any case of less payment or non-payment of minimum wages, they advise the employers to make payment of shortfall of wages. In case of non-adherence, there are legal and penal provisions in the Act against the defaulting employers.

SHRI ABANI ROY: Sir, in part (c) of my question, I have mentioned whether the Government have received complaints regarding non-payment of wages at Government-prescribed rates. If so, how many complaints have been received by it, and how many employers have been punished for non-payment of wages? This is my first question.

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Sir, the first part of the question is not like this. The first part of the question is क्या न्यूनतम मजदूरी संबंधी कार्यदल ने श्रमिकों को 66 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की है? This is one. The second is तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? And, the third is क्या सरकार द्वारा विहित दरों पर मजदूरी की अदायगी न करने के संबंध में सरकार को विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? This is the third part of the question. If you want to know as to how many people have been punished in this regard, exactly कितने लोगों को इसमें सज़ा दी है-तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी minimum wages हैं, राज्य सरकारों द्वारा उसका पालन किया जाता है। मैंने मुख्यमंत्रियों को खास तौर से चिट्ठी लिखकर कहा है कि काफी राज्यों में ऐसी स्थिति है कि मजदूरों को minimum wages नहीं मिलते हैं और उसका enforcement बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। I have personally requested the Chief Ministers in this regard. I have also written letters to most of the Chief Ministers.

मुझे यह बात कहते हुए तकलीफ हो रही है कि कई राज्यों में उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। जहां तक inspections की बात है, कितने inspections हमने किए हैं, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसकी डिटेल्स मैं दे सकता हूं।

SHRI ABANI ROY: Sir, my second question is about the inspectors. It is found that in various States, the inspectors are not taking the matter seriously, and sometimes, the workers suffer. In that case, what steps is the Central Government taking against this type of 'Inspector Raj'?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं पहले दे ही चुका हूं कि राज्य सरकारें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जो स्टेट्स इसका पालन नहीं कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: मैंने उन्हीं के बारे में बताया है। मैंने आपसे कहा है कि जिन स्टेट्स में नहीं हुआ है, उन स्टेट्स के बारे में हमारे पास शिकायतें आती हैं। मैंने उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनसे बातचीत की है कि उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। यह बात आप सही कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में inspections के लिए कहा गया है कि बिना परमीशन के कोई inspection नहीं करेगा, ऐसी स्थिति भी कहीं-कहीं पर है। यह बात भी सही है कि कई राज्यों में minimum wages बहुत कम थे। फिर भी मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बहुत आग्रह करके national floor level पर इसे पिछले साल 50 रुपए करवाया था। कुछ महीने पहले जहां minimum wages 50 रुपए भी नहीं थे, उन्होंने हमारे कहने पर इसे 50 रुपए किया। जब मैंने यहां 2 महीने पहले मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी तो मैंने सबसे प्रार्थना की थी कि ठीक तरह से इसका enforcement नहीं हो रहा है और जो नयी रिपोर्ट आई है 66 रुपए की, आप उस पर ऐग्री कर रहे हैं, और हम इसको 66 रुपए करने जा रहे हैं, 19 तारीख को हमारी मीटिंग है। लेकिन दु:ख की बात यह है कि 66 रुपए तो हम कर देंगे लेकिन अभी तक national floor level पर 50 रुपए minimum wages का भी implementation नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: मंत्री जी, जो ये राज्य सरकारें हैं, जो इस संबंध में सारी व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रही हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, कमी-बेशी तो सभी जगह पर है लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप पार्लियामेंट में उनका नाम बताइए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: अभी अगर मैं नाम बताना चाहूं तो ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अभी की बात नहीं, आप पूरी लिस्ट दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं मुख्यमंत्री और वहां की सरकारें यह न सोचें कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप तो पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: He is telling that the Government has given directions. How can he say ...*(Interruptions)*... This is against the Constitution.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: This is not good ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: आप बैठिये। आप बैठिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार: सभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं खुद ही कह रहा हूं। मंत्री जी, आप एक काम करिए ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट वेट कीजिए। जिन-जिन स्टेट्स ने नहीं किया है माननीय मेम्बर्स को उसको सूचना दे दें।

श्री साहिब सिंह वर्मा: ठीक है। मैं सूचना दे दूंगा।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this is a matter which is related to the most downtrodden sections. Even in the Government-sponsored employment generation schemes they are not getting the minimum wages. This money is coming and going from the Central Government. So, may I know from the hon. Minister whether he would devise a special mechanism to ensure minimum wages in the Government-sponsored employment generation schemes?

श्री साहिब सिंह वर्मा: क्या पूछा है?

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this is the attitude of the Ministry ...*(Interruption)*...

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Could you, please, repeat the question?

श्री सभापति: इनका क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जहां-जहां भी ऐसे एम्पलाइमेंट होता है, उन लोगों को मिनीमम वेजिज मिलता है या नहीं मिलता है।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Let there be a special mechanism because in most of the States, the labourers are not getting the minimum wages. It was reported when there was demand for drought.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सर, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, सभी जगह पर काम करते हैं, जहां कहीं से भी हमें शिकायत मिलती है उस पर हम सख्त कार्यवाही करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां लोग काम करते हैं वहां से मिनीमम वेजिज की शिकायतें बहुत कम हैं, इन कम्पेरिजन टू स्टेट बहुत कम हैं।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: But it was reported in the newspapers that they were not getting the minimum wages even in the Government-sponsored employment generation programmes. That is the thing that needs to be ensured. Have you got any special mechanism for that? That is my specific question and that needs to be answered.

SHRI SAHIB SINGH VERMA: We are doing that.

श्री सभापति: ठीक है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्यदल बनाते हैं इसमें आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, देश के लोगों की शक्ति खर्च होती है और फिर कार्यदल की रिपोर्ट आती है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्यदल की मीटिंग की रिपोर्ट आपको कब मिली और इसके ऊपर आप कब तक फैसला लेंगे?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, कार्यदल की जो रिपोर्ट आई है इसे ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग दो महीने पहले इसकी रिपोर्ट आई है। इसके तुरंत बाद हमने राज्य सरकारों के मंत्रियों को बुलाकर इस पर चर्चा की है। हमारी एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मिनीमम वेजिज पर होती है उसका हमने गठन कर दिया है। आने वाली 19 तारीख को, इसी 19 दिसम्बर को उसकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद इस पर निर्णय लेकर के इसको लागू करेंगे।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, बहुत सारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में कांट्रेक्ट पर लेबर को काम दिया जाता है। यह कांट्रेक्ट लेबर पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में काम करती है, उसको मिनीमम वेजिज एक्ट के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है। क्या यह हकीकत है? अगर यह सच है तो इस विषय पर क्या करेंगे या इसका ब्यौरा मंत्री जी लेने की कोशिश करेंगे?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, कांट्रेक्ट लेबर के लिए पहले लिखकर के देना पड़ता है, एन्श्योर करना पड़ता है कि वे उन्हें पूरे मिनीमम वेजिज देंगे। अगर कहीं से भी मिनीमम वेजिज नहीं देने की शिकायत आती है तो उनके पैसे से कटौती करके हम लेबर को देते हैं और उनको सजा भी देते हैं।

*142. [*The questioner (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent. For answer vide page* 34-35.]

*143. [*The questioner (Shri Dipankar Mukherjee) was absent. For answer vide page* 35.]

Legislation on minimum wages

*144. SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating a legislation providing for minimum wages for workers in the unorganised sectors including rag-pickers and rickshaw pullers;

(b) the rationale behind leaving out domestic workers from the ambit of this proposed legislation; and

(c) whether the trade unions have expressed reservations over the legislation for lack of implementing mechanism and the fact that it requires contributions from beneficiaries?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) There already exists a Legislation namely the Minimum Wages Act, 1948 which provides for fixation, revision and enforcement of minimum wages in respect of the workers engaged in the scheduled employments, mostly in the unorganized sector, both in the Central and State sphere. Rag pickers and Rickshaw pullers are not included in the scheduled employment. The domestic workers are also not included under the Minimum Wage Act, 1948 as they are not engaged in production activities as relating to the industrial units or establishments.